

सार्वजनिक सूचना

[दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ("आईबीसी") की धारा 102 के तहत]

सुश्री जमना देवी ढींगरा

के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, पीठ-V ने कॉर्पोरेट देनदार यानी मैसर्स जेएमडी ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई व्यक्तिगत गारंटी के लिए व्यक्तिगत गारंटकर्ताओं के खिलाफ आईबीसी की धारा 95 के तहत भारतीय स्टेट बैंक (संकल्प पेशेवर के माध्यम से) द्वारा दायर सी.पी. (आई.बी.) संख्या 862 (पी.बी.)/2022 में अपने आदेश दिनांक 18.09.2026 (आदेश की प्रति 21.09.2026 को अपलोड की गई) के माध्यम से सुश्री जमना देवी ढींगरा के खिलाफ आईबीसी की धारा 100 के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

तदनुसार, सुश्री जमना देवी ढींगरा के लेनदारों को एतद्वारा निर्धारित प्रपत्र बी में प्रमाण सहित अपने दावों को 15.10.2026 को या उससे पहले एआरसी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी, 409 अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग (सी.पी.), नई दिल्ली-110001 के पते पर या ईमेल के माध्यम से pgjmdoil@gmail.com पर प्रस्तुत (पंजीकृत) करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

लेनदार इलेक्ट्रॉनिक द्वारा, या हाथ से, या पंजीकृत डाक द्वारा, या स्पीड पोस्ट से, या कूरियर के माध्यम से अपने दावों का विवरण प्रस्तुत (पंजीकरण) कर सकते हैं।

व्यक्तिगत गारंटर जमना देवी ढींगरा का विवरण

1. व्यक्तिगत गारंटर का नाम	सुश्री जमना देवी ढींगरा
2. व्यक्तिगत गारंटर का पता	निवासी: 5/1-बी रमेश नगर, नई दिल्ली-110015
3. दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	18.09.2026 (आदेश की कॉपी 21.09.2026 को अपलोड की गई)
4. दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	17.03.2027
5. दावों के निवेदन की अंतिम तिथि	15.10.2026

समाधान पेशेवर का विवरण

6. समाधान पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या, जो समाधान पेशेवर के रूप में कार्य कर रहे हैं	श्री चंचल दुआ IBBI/PA-003/IP-N00083/2017-2018/10821 एएफए की वैधता तिथि: 31.12.2026
7. समाधान पेशेवर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो	पता: 5/36, पहली मंजिल, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015, एनसीटी ऑफ दिल्ली ईमेल: chanchaldualco@gmail.com
8. समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल	पता: 409, अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ईमेल: pgjmdoil@gmail.com फोन: 011-45101111 / 40078344

झूठे या भ्रामक दावों को प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 या किसी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय है।

दिनांक: 24.09.2026
स्थान: नई दिल्ली

(हस्ता/-)
चंचल दुआ
रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल

मेल आईडी पर जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उपरोक्त व्यक्तियों से <https://www.bankeauctions.com> पर संपर्क करें; संपर्क व्यक्ति: श्री बालाजी मन्नार, मोबाइल नंबर: 797770 080, सपोर्ट नंबर: 07291981124/25/26, ईमेल आईडी: support@bankeauctions.com; mannur.govindarajan@clindia.com

5. जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से (जिसकी रसीद बोली के साथ संलग्न करनी होगी) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित खाते, खाताधारक का नाम - सेवा गृह ऋण लिमिटेड, खाता संख्या - 57500001848343, आईएफएससी कोड: HDFC0000060, या सेवा गृह ऋण लिमिटेड के पक्ष में जारी किए गए एवं प्राधिकृत अधिकारी को संबोधित किए गए डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से, पता: प्रथम तल, बसन्त विहार कॉलोनी (नीगांव बुजुर्ग भवन), सर्वे नं. 1090 पार्ट, निकट देव होटल, कोर्ट रोड, धार-454001-मध्य प्रदेश में जमा की जानी चाहिए।

6. जो बोली प्रपत्र भरे नहीं गए हैं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त ईएमडी अमान्य माने जाएंगे और तदनुसार अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि इस ई-नीलामी का सफल बोलीदाता, सरफेसी नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, प्रस्ताव/बोली स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद या उसके एक दिन बाद विक्रय मूल्य/बोली मूल्य (ईएमडी सहित) का 25% भुगतान करने में असमर्थ है, या सफल बोलीदाता घोषित होने के बाद नीलामी से हटना चाहता है, तो यह ईएमडी प्रतिभूत लेनदार/एसजीआरएल को जब्त कर ली जाएगी। असफल बोलीदाताओं को ईएमडी वापस कर दी जाएगी।

7. विक्री मूल्य/बोली मूल्य का शेष 75% वित्तीय संस्था/सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती सेवा गृह ऋण लिमिटेड) द्वारा विक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में सहमत विस्तारित अवधि के भीतर भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर क्रेता/बोलीदाता द्वारा पहले से भुगतान/जमा की गई राशि एवं संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर सभी दावे जब्त कर लिए जाएंगे, जिस पर इसे बाद में बेचा जा सकता है। विक्री मूल्य के भुगतान के समय और संबंधित समय-सीमाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया सरफेसी नियम 2002 के नियम 9(3), 9(4) और 9(5) का संदर्भ लें।

8. किसी भी परिस्थिति में संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। संपत्ति उच्चतम बोलीदाता को बेची जाएगी, बशर्ते कि प्रतिभूत लेनदार द्वारा बोली स्वीकार कर ली जाए।

9. विक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए एवं बोली जमा करने और ई-नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने से पहले कृपया हमारी वेबसाइट www.sgrlimited.in और <https://www.bankeauctions.com> पर जाएं।

10. कर्जदार/जमानती इसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सूचना के रूप में समझे एवं उन्हें इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर उपरोक्त उल्लिखित दायित्व (अतिरिक्त ब्याज एवं आकरिमक व्यय, उस पर अब तक की लागत सहित) का पूर्ण भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, अन्यथा परिसंपत्तियों को उपरोक्त उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार और नीलामी सेवा प्रदाता के ऑनलाइन पोर्टल पर बेचा जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए, उपर्युक्त कार्यालय पते पर प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

तिथि: 23-09-2026,
स्थान: उत्तर प्रदेश

हस्ता/- अधिकृत अधिकारी
कृते सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व की सेवा गृह ऋण लिमिटेड)



पंजाब नैशनल बैंक



punjab nation

.....भरोसे का प्रतीक

...the name you can

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनराम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं, का सांकेतिक बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(री) और गारंटर(री) आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई जानकारी के अनुसार